न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।**

गम्बूराम बनाम विजय
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02/111/2023

26.06.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने का निवेदन किया कि विवादीत आराजी खाता संख्या 49 खसरा संख्या 236/0.45 वाके ग्राम नांगल धर्मू तहसील राजगढ जिला अलवर से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य न करें ना ही आराजी में स्थित पेडो को काटकर नष्ट करें, ना ही उक्त आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने लाने–ले–जाने आदि में प्रार्थीगण के साथ व्यवधान उत्पन्न करें एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27/07/2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है <u>कि विवादीत आराजी खाता संख्या 49 खसरा संख्या 236/0.45 वाके ग्राम नांगल धर्मू तहसील राजगढ जिला अलवर में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें</u> अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27/07/2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

27/7/23
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/10/23 (11/10/23) को पेश हो।
रीडर

11/10/23 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड रसीद पेश की। वास्ते पेश होने डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 29/11/23 को पेश हो।
SDO

29/11/23
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में [illegible] पत्रावली दिनांक 25/3/24 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11-08-25 पत्रावली इकजाई तारीख से पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 Rt Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	